कार्यालयः निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, आठॅवा तल, अशोक मार्ग, लखनऊ।

विज्ञप्ति

यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग-2023 के स्ट्रे वैकेंसी चक्र-2 की ऑनलाईन काउंसिलिंग की समय सारणी।

उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय/निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थानों के यू0जी0 पाठ्यक्रमों (बी0ए0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0 एवं बी0एच0एम0एस0) में रिक्त सीटों एवं एन0सी0आई0एस0एम0/एन0सी0एच0, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 09.11.2023 के द्वारा निर्गत संशोधित न्यूनतम नीट-2023 अर्हता के कम में प्रवेश हेतु स्ट्रे वैकेंसी चक्र-2 की ऑनलाईन काउंसिलिंग की समय-सारणी निम्नवत् हैः-

स्ट्रे वैकेंसी काउन्सिलिंग चक्र-2		
क0सं0	विवरण	दिनॉक/समय
1	ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि	दिनॉक 18/11/2023 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से) दिनॉक 20/11/2023 (अपराह्न 05:00 बजे तक)
2	धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि	दिनॉक 18/11/2023 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से) दिनांक 21/11/2023 (अपराह्न 03:00 बजे तक)
3	आनलाइन अभिलेखों का सत्यापन	दिनांक 20/11/2023 एवं 21/11/2023 (सायं 04:00 बजे तक)
4	पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची (State Merit List) का प्रकाशन	दिनॉक 21/11/2023 (सायं 06:00 बजे तक)
5	ऑनलाइन च्वाईस फिलिंग (वरीयता विकल्प) भरने एवं सीट लॉक करने की तिथि	दिनॉक 21/11/2023 को मेरिट सूची (State Merit List) के प्रकाशन के बाद से दिनॉक 23/11/2023 (अपराह्न 02:00 बजे तक)
6	अनंतिम सीट आवंटन सूची/सूचियों का प्रकाशन	दिनॉक 23/11/2023 (सायं 05:00 बजे तक)
7	नोडल सेन्टर पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन	दिनॉक 25/11/2023 को (प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक)
8	आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश की अन्तिम तिथि	दिनॉक 28/11/2023 एवं दिनॉक 29/11/2023 (सायं 05:00 बजे तक)

➢ एन0सी0आई0एस0एम0/एन0सी0एच0, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 09.11.2023 के कम में नीट-2023 में संशोधित न्यूनतम अर्हता निम्नवत् होगी-

कम0 सं0	श्रेणी	न्यूनतम अर्हता
1	अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग।	45 परसेंटाइल
2	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति।	35 परसेंटाइल
3	अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के दिव्यांग।	40 परसेंटाइल
4	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग।	35 परसेंटाइल

➢ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं स्ट्रे वैकेंसी चक्र-1 की काउन्सिलिंग मे पंजीकरण नहीं कराया है वह काउंसिलिंग-2023 की वेबसाइट **https://www.upayushcounseling.upsdc.gov.in** पर पंजीकरण शुल्क रूपये-2000/- एवं धरोहर धनराशि (राजकीय आयुष कालेज हेतु रूपये-20,000/- एवं निजी क्षेत्र के आयुष कालेज हेतु रूपये-50,000/-) जमा कर के प्रतिभाग कर सकते हैं।

➢ ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं स्ट्रे वैकेंसी चक्र-1 की काउन्सिलिंग के द्वारा कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो, वह अभ्यर्थी काउन्सिलिंग हेतु अर्ह होंगे। उन्हें पुनः पंजीकरण शुल्क एवं धरोहर धनराशि जमा करने की फिर से आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सीधे च्वाईस फिलिंग कर सकेंगे।

➢ अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल अभिलेखों को भौतिक सत्यापन के समय नोडल सेन्टर- राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गोमती नगर, हैनीमेन चौराहा, लखनऊ पर लेकर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उनके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

- AACCC द्वारा अनर्ह अभ्यर्थी काउंसिलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।
- **स्ट्रे वैकेंसी काउन्सिलिंग चक्र–2** में अभ्यर्थी को पुनरावंटन (reshuffling) अनुमन्य नहीं है।
- अभ्यर्थी यदि अपनी आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेता है, तो उसकी धरोहर धनराशि (राजकीय आयुष कालेज हेतु रूपये–20,000/– एवं निजी क्षेत्र के आयुष कालेज हेतु रूपये–50,000/–) विभाग के पक्ष में जब्त हो जायेगी।
- स्टेट कोटा की सीट हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (एन0सी0एल0)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 01.04.2023 अथवा उसके बाद का निर्गत होना चाहिए। **भारत सरकार के सेवायोजन हेतु निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।**
- दिव्यांगजनों के आरक्षण के संबंध में विवरण पुस्तिका के संलग्नक सं0–05 के अनुसार जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों से यदि प्रमाणित नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी श्रेणी/उपश्रेणी सुसंगत श्रेणी में परिवर्तित कर दी जायेगी।
- अर्हता का प्रमाणीकरण संबंधित अभिलेखों के भौतिक सत्यापन द्वारा अन्तिम रूप से किया जायेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी को अपने समस्त अभिलेख, मूलरुप में निर्धारित समय, तिथि एवं स्थान पर स्वयं उपस्थित होकर सत्यापन अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि किसी मान्य मूल अभिलेख के अभाव में अर्हता प्रमाणित नहीं होती है, तो ऐसी दशा में तद् सम्बन्धित लाभ/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- स्ट्रे वैकेंसी चक्र–2 की आवंटन प्रकिया के समय यदि आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी की सीटें रिक्त रहती हैं, तो उन्हें नियमानुसार सम्बन्धित श्रेणी में आमेलित/परिवर्तित करते हुये आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
- ऑनलाइन काउन्सिलिंग की अद्यतन जानकारी हेतु वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
- **Help Line Number (Mob.) : +91-7376520591, +91-7376524687**
  Email ID :upayushcounselling2022@gmail.com

ह0/–

(प्रो0 अरविन्द कुमार वर्मा)
निदेशक/सदस्य सचिव

Scanned with CamScanner